प0 स0–14/डी0एल0ए0. (एस0 एच0–87) सीतामढ़ी–212/12–..........76../रा0. पटना–15. दिनाक–10/01/2013

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अधिसूचना

संख्या–................/डी0 एल0 ए0सीतामढ़ी../रा0,पटना, दिनांक...............

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–शरीफपुर, थाना नं0–195, थाना–पुपरी, अंचल–नानपुर, जिला–सीतामढ़ी** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रून्नीसैदपुर से बिसवा राज्य उच्च पथ सं0–87के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त **ग्राम–शरीफपुर, थाना नं0–195, थाना–पुपरी**, अंचल–नानपुर, जिला–सीतामढ़ी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेस 0.137 हेक्टेयर के बराबर होता है, सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:–

अर्जनाधीन खेसरा संख्या– 2008अंश, 2007अंश, 2006अंश, 2005अंश, 2004अंश, 1992अंश, 1986अंश, 1548अंश, 1527अंश, 1525अंश, 1524अंश, 1496अंश, 1498अंश, 1503अंश, 1502अंश, 1501अंश, 1504अंश, 1505अंश, 1506अंश, 1507अंश, 1494अंश, 1488अंश, 585अंश, 584अंश, 581अंश, 582अंश, 579अंश, 578अंश, 577अंश, 576अंश, 566अंश, 565अंश, 564अंश, 563अंश, 562अंश, एवं 540 का अंश रकबा

चौहद्दी

उत्तर– रोड रसुलगंज
दक्षिण– रोड गंगौली
पूरब– खेसरा नं0 1507, 1506, 1505, 1503, 1502, 1501, 1499, 1498, 1497, 1496, 1524, 1527, 1525, 1986, 1992, 2004, 2005 एवं 2006 का अंश
पश्चिम– खेसरा नं0 1099, 1098, 3204/1098, 1097 एवं 1096 का अंश

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 संशोधित अधिनियम 1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उपमहाप्रबंधक (तक0), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लि0, पी0आई0यू0–3, हाजीपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
समाहर्त्ता
सीतामढ़ी
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–....................../डी0 एल0 एस0, सीतामढ़ी–..............76../रा0,पटना, दिनांक..10–01–13

प्रतिलिपि– निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ । इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी की अधिसूचना की दो प्रतियों सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता
सीतामढ़ी
8/1/13
सरकार के अवर सचिव